झारखण्ड सरकार,

कल्याण विभाग।

3390 16-11-16

(423)

आदेश

विषयः– कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के लिये संचालित चिकित्सा सहायता योजना के संचालन हेतु संशोधित मार्ग निदेश।

झारखण्ड सरकार, कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के लिये चिकित्सा सहायता की योजना चलायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष राशि स्वीकृत/आवंटित की जाती है। आवंटित राशि का नियमानुसर समुचित उपयोग हो तथा जरूरत मंद व्यक्तियों को शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेश संख्या–2129, दिनांक – 28.08.2010 में विचारोपरान्त संशोधन करते हुए निम्न दिशा–निर्देश दिया जाता है :–

(i) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सम्बन्धित उपायुक्त होंगे।

(ii) अनुदान के लिये आवेदन पत्र प्रखंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर प्राप्त किये जायेंगे।

(iii) जिला कल्याण पदाधिकारी आकस्मिक रूप में 1000/– रू0 (एक हजार रू0) तक (जिसका विपत्र बाद में प्राप्त कर लेंगे) एवं विपत्र के साथ 3000/– रू0 (तीन हजार रू0) तक तथा उक्त राशि से अधिक 10,000/– रू0 तक के चिकित्सा अनुदान की राशि की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा किया जायेगा। 10,000/– रू0 से अधिक शिथिलीकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित रहेगी।

(iv) इसके लिये असैनिक शल्य चिकित्सक/असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक के अतिरिक्त किसी भी सरकारी चिकित्सक यथा होमियोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

(v) आवेदक को सामान्यतः आवेदन की तिथि से सात दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

(vi) यदि आवेदक की हालत गंभीर रहे, तब उसे 48 घंटे के अन्दर निम्नलिखित परिस्थितियों में चिकित्सा सहायता की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है :–

क– दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में,

ख– बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थ दैनिक मजदूर को,

ग– अनुदान स्वीकृत करने के लिये सक्षम पदाधिकारी की संतुष्टि से अन्य कारणों से पीड़ित रोगी को,

घ– बीमारी या दुर्घटना के फलस्वरूप लम्बी अवधि तक शय्या प्राप्त रोगी को,

ङ– आँख, कान, नाक, पैर आदि अंगो से अयोग्य रोगी को,

च– किसी खास क्षेत्र के आवेदक को, जहाँ भयंकर बीमारी से लोग पीड़ित हों।

(vii) टी0बी0, कुष्ट जैसी गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों अथवा अधिकतम 72,000/--रूपये वार्षिक आय (समय -समय राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय) वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को ही चिकित्सा सहायता योजना का लाभ दिया जायेगा।

(ix) आवेदन के साथ सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ,बी0पी0एल0 कार्ड /आय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(x) आवेदक से स्व घोषणा पत्र लेना अनिवार्य होगा कि "जो सूचना आवेदन में उनके द्वारा दी जा रही है वह सही है तथा यदि उसमें कोई बात गलत पाई गयी तो उनके विरूद्ध सरकार कार्रवाई करने के लिये स्वतंत्र होगी"।

(xi) किसी व्यक्ति को अनुदान की अनुदान मंजूर करने में समुचित न्यूनतम सीमा का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, ताकि यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को इस योजना में लाभ मिल सके।

(xii) अनुदान की राशि स्वीकृत हो जाने तथा भुगतान हो जाने पर उन व्यक्तियों के नाम तथा पता सरकार को सूचित किये जाएँ, जिनको ऐसे अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी हो।

(xiii) अनुदान ऐसे व्यक्तियों को दी जायेगी, जिसे किसी अन्य श्रोत से सहायता नहीं मिली हो।

(xiv) चिकित्सा अनुदान की स्वीकृति की प्रक्रिया में किसी आवेदक का चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो स्वीकृत राशि का भुगतान उनके आरक्षित/अभिभावक को चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात किया जायेगा।

(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 4/चिकित्सा(मार्ग0)–01 /2016–क–3390 राँची, दिनांक– 16-11-16

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव के सचिव/ आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची/राज्य सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 4/चिकित्सा(मार्ग0)–01 /2016–क–3390 राँची, दिनांक– 16-11-16

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।